

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 90/2012/जोधपुर.
2. अपील संख्या – 91/2012/जोधपुर.
3. अपील संख्या – 92/2012/जोधपुर.
4. अपील संख्या – 93/2012/जोधपुर.

मैसर्स पराग इण्डस्ट्रीज, भदवासिया, जोधपुर

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वार्ड-प्रथम, वृत्त-'अ', जोधपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ  
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित :

श्री आर. आर. सिंघवी, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 25/03/2015

### निर्णय

1. ये चारों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, वाणिज्यिक कर जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या क्रमशः 54, 55, 56 व 57/आरएसटी/जेयूए/10-11 में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 30.09.2011 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, वृत्त-'अ', जोधपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों के लिये राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 29(7) व 30(2) के तहत पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 23.08.2008 की पुष्टि की है।

2. इन चारों अपीलों में पक्षकार तथा विवादित बिन्दु समान होने से चारों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी की आलौच्य अवधियों के नियमित कर निर्धारण आदेश अन्तर्गत धारा 29 क्रमशः दिनांक 01.02.2005; 01.02.2006; 29.12.2006 व 03.08.2007 को पारित किये गये थे, जिसमें अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत उत्पाद 'पाचक ऑवला' को करमुक्त मानते हुए आदेश पारित किये गये थे। तत्पचात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त उत्पाद 'पाचक ऑवला' पर अधिनियम के तहत जारी की गयी अनुसूची-IV की प्रविष्टि

मंगाया

लगातार.....2

संख्या 165 अनुसार करदेयता मानते हुए चारों प्रकरणों में मत परिवर्तन के आधार पर पूर्व में सम्पूरित किये गये कर निर्धारण आदेशों को खोलते हुए कर से छूटे हुए पण्यावर्त पर करारोपण किया गया है। कर निर्धारण वर्ष 2002-03 में वार्षिक विवरण प्रपत्र एस.टी.5ए में घोषित पण्यावर्त के आधार पर स्वतः कर निर्धारण योजना के अधीन कर निर्धारण आदेश परित किया गया है। कर निर्धारण वर्ष 2002-03 को धारा 30 में खोलते हुए पाचक ऑवले की बिक्री पर कर आरोपित किया। इसमें उत्पादित माल पाचक ऑवले को सूखे ऑवले से भिन्न व परिष्कृत/विनिर्मित वस्तु ठहराते हुए वेट अधिनियम की अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या 165 "Digestive tablet, churan, powders and liquids." की श्रेणी में ठहराते हुए नियमानुसार कर योग्य पाने के पश्चात निम्न सारणी अनुसार कर/सरचार्ज व ब्याज आरोपित किया गया :—

अपील संख्या	कर निर्धारण अवधि	आरोपित			
		कर	सरचार्ज	ब्याज	योग
1	2	3	4	5	6
90/12	2002-03	58,462	—	46,017	1,04,479
91/12	2003-04	49,584	7,437	35,847	92,868
92/12	2004-05	1,15,091	494	49,863	1,65,448
93/12	2005-06	1,22,316	—	40,353	1,62,669

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी के द्वारा ड्राई सॉल्टेड ऑवला, पान सुपारी व मीठी सुपारी का व्यवसाय किया जाता है। कर निर्धारण वर्ष 2002-03 का अधिनियम के अधीन नियमित कर निर्धारण आदेश दिनांक 01.02.2005 को सम्पूरित किया गया था, जिसमें अधिसूचना क्रमांक एफ.4(20)एफडी/टैक्स डिवी./77-104 दिनांक 12.03.1997 के अधीन ड्राई सॉल्टेड ऑवला को कर से मुक्ति प्रदान की गई। अपीलार्थी द्वारा इस अवधि में गलती से संग्रहित कर को जब्त किया गया और बिक्री को करमुक्त के रूप में निर्धारित किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश पारित करते समय समस्त तथ्यों पर विचार करने के पश्चात कर निर्धारण आदेश पारित किया गया था। अधिनियम की धारा 30 के अधीन मत परिवर्तन के आधार पर कर निर्धारण को खोला नहीं जा सकता है। कर निर्धारण अधिकारी को पूर्व वर्षों में किये गये कर निर्धारण आदेशों में लिये गये मत को भी ध्यान में रखते हुए कर निर्धारण आदेश पारित करना चाहिये था, जबकि वर्ष 2004-05 व 2005-06 में कर निर्धारण अधिकारी ने इस बिन्दु पर अपने मत को परिवर्तित करते हुए कर निर्धारण आदेश पारित किया तथा ड्राई सॉल्टेड ऑवला को कर से प्रदान की गई मुक्ति को सही नहीं मानते हुए कर आरोपित किया, जो त्रुटिपूर्ण है। कर निर्धारण अधिकारी ने अधिसूचना दिनांक 22.03.2002 व 12.07.2004 की प्रविष्टि संख्या 87 व 92, जो निम्न प्रकार है, के आधार पर करारोपण किया है :—

मंगेश

**"Medicines, drugs, including bulk drugs and all kinds of pharmaceutical preparations used in the treatment or preparation of diseases including, all kinds of Ayurvedic medicines and preparation digestive tablets, churan, powders and liquid, but excluding non ayurvedic tooth paste and powers."**

5. कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 30 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए कर आरोपित किया। पारित आदेश दिनांक 23.8.2008 को आदेश पारित किया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 23.8.2008 के आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी ने उनके आदेश दिनांक 30.9.2011 के द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश की पुष्टि करते हुए कुछ निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया, जिसमें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने तथा लेखा—पुस्तकों व अन्य अभिलेख का सम्यक परीक्षण किया जावे।
6. मत परिवर्तन के आधार पर कर निर्धारण को नहीं खोले जाने के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त 26 एस.टी.सी. 251 केरल राज्य बनाम के.ई.नैनन प्रस्तुत किया, जिसमें निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है –

*"no re opening of completed assessment or the re assessment can be made in the cases where the question to be considered is of the legality propriety and regularity of the exemption of the turnover granted by the assessing authority like in the present case. It was further observed by the Hon'ble court that such type of cases are strictly fall within the purview of the revising authority and there can be no question of any action being taken on the ground that there had been escapement of turnover."*

7. ड्राई सॉल्टेड ऑवला पर कर से निर्धारण छूट जाने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी ने तथ्यों से उपायुक्त (प्रशासन) को अवगत कराया तथा उसके पश्चात उपायुक्त (प्रशासन) के द्वारा कर निर्धारण को खोलने के निर्देश दिये गये। उपायुक्त (प्रशासन) द्वारा कर निर्धारण को खोले जाने के निर्देश उचित नहीं होना बताया। उपायुक्त (प्रशासन) को चाहिये था कि उनका अन्यथा मत होने की स्थिति में वो अपीलार्थी को उस आशय से सूचित करते। कर निर्धारण वर्ष 2004–05 व 2005–06 के आदेश क्रमशः दिनांक 29.12.2006 व 03.08.2007 को पारित किये गये हैं, जबकि कर निर्धारण वर्ष 2005–06 के नियमित कर निर्धारण करने के लिये समय सीमा दिनांक 31.03.2008 तक के लिये उपलब्ध थ। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कथित जांच दिनांक 14.08.2001

*h/ट्रैडिंग*

को की गई तथा यह जांच सही नहीं होने का कथन किया तथा इस जांच को कूटरचित होना बताया गया। न्यायिक दृष्टान्त (1971) 82 आई.टी.आर. 147 (एस.सी.) प्रस्तुत किया। न्यायिक दृष्टान्त (1971) 79 आई.टी.आर. 603 (एस.सी.) छुगामल राजपाल बनाम एस.पी. चलिहा प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के प्रकरणों में विधिक स्थिति स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 30 में कार्यवाही किया जाना त्रुटिपूर्ण है।

8. अपीलीय अधिकारी द्वारा भी विरोधाभासी तथ्यों का त्रुटिपूर्ण अंकन करने का कथन किया। जैसे वर्ष 2004–05 व 2005–06 में अपीलार्थी द्वारा करमुक्त माल ड्राई सॉल्टेड ऑवला की बिक्री को घोषित नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया है। साथ ही उन्होंने अपीलार्थी को ‘पाचक ऑवला’ का उत्पादक होने का कथन किया, जबकि अपीलार्थी द्वारा इस आशय का कोई कथन नहीं किया गया था। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी का यह कल्पनाजनित कार्य है, जिसमें त्रुटिपूर्ण और विरोधाभासी निर्णय लिये गये हैं।

9. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी व कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को विधिसम्मत एवं तर्कसंगत बताते हुए कथन किया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों के लिये पारित किये गये नियमित कर निर्धारण आदेशों में ऑवले की बिक्री को करमुक्त मानते हुए तदनुसार आदेश पारित किये गये थे, जबकि उक्त माल वेट अधिनियम की अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या 165 अनुसार कर योग्य थे। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उपायुक्त (प्रशासन) की अनुमति से अधिनियम की धारा 30 के तहत प्रकरणों को पुनः खोलते तदनुसार आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कर निर्धारण आदेशों की पुष्टि किये जाने में कोई भूल नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

10. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मान अध्ययन किया गया।

11. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा इन अपीलों में अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30.09.2011 के विरुद्ध केवल विधिक बिन्दु, जो कि कर निर्धारण से छूटा हुआ होने के कारण, को खोलकर कर निर्धारण करने के बिन्दु को ही विवादित किया गया है। अतः केवल इस बिन्दु पर ही निर्णय पारित किया जा रहा है। अपीलीय आदेश के अन्य बिन्दु, जो तथ्यों के सम्बन्ध में हैं, को इन

अपीलों में विवादित नहीं किया गया है। अतः हस्तगत प्रकरणों में मुख्य विवादित बिन्दु यही है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों के नियमित कर निर्धारण आदेशों को अधिनियम की धारा 30 के तहत खोलते हुए पुनः करारोपण किया जा सकता है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 30 निम्न प्रकार है :—

### Section 30:- Escaped assessment -

#### (1) An assessment-

- (a) of a person who is liable to get registration but has not got himself registered; or
- (b) in which, for any reason, the levy of tax or any fee or sum payable under the Act has been escaped wholly or in part; or
- (c) Wherein tax has been wholly or in part unassessed or under-assessed in any way or under any circumstances,

shall be deemed an escaped assessment and the assessing authority shall on the basis of the material on record or after making such enquiry as it may consider necessary, complete such assessment within the time limit provided in sub-section (3).

**Explanation:-** The assessment under this section shall not include that part of business which has already been assessed under section 29.

(2) Where the Commissioner or a Deputy Commissioner (Administration) has reason to believe that a dealer has escaped assessment to tax in any manner provided in sub-section (1), he may at any time, subject to the time limit specified in sub-section (3), either direct the assessing authority to assess the tax or the fee or other sum or himself proceed to assess the same.

(3) No notice under sub-sections (1) and (2) shall be issued in respect of any escaped assessment for any year after the expiry of five years and no assessment under the said sub-section shall be completed after the expiry of eight years, from the end of the relevant assessment year, but this limitation shall not be applicable to any assessment to be made in consequence of, or to give effect to, any finding or direction contained in an order passed by an appellate authority or the Tax board or a competent court.

12. इसी सन्दर्भ में माननीय न्यायालयों के निम्न न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मान अध्ययन किया गया, जिनमें व्यवस्था दी गयी है कि —

(1) ए.आई.आर. 1959 एस.सी. 1303 महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह, उक्त निर्णय में माननीय न्यायालय ने बिहार कृषि आयकर अधिनियम की धारा 26, जो कि राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 की धारा 12 के समान है, के सम्बन्ध में निर्णय दिया है कि —

८३१५८

"Held that the expression 'any reason' used in the Act, is of wide import and dispenses with those conditions by which section 34 of the Income Tax Act is circumscribed."

(2) 1976 आर.एल.डब्ल्यू. 648 (राज.) मैसर्स अकबरअली अमानतअली

"Held that the words "for any reason" in section 12(1) or the Rajasthan Sales TAX Act, 1954 are wide enough and the powers of the Commercial Taxes Officer under the section are not circumscribed by any condition. The decision of the Division Bench in M/s National Clinic's case (1966 RLW 257) Which lays down that there can be no reassessment under section 12(1) of the Act on mere change of opinion, therefore, does not lay down good law."

(3) (1980) 45 एस.टी.सी. 274 (राज.) राजस्थान फेल्ट्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी

(4) (1983) 54 एस.टी.सी. 284 (राज.) कोटा बॉक्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी

"Held that the words "for any reason" in section 12(1) or the Rajasthan Sales Tax Act, 1954 are wide and the powers of the Commercial Taxes Officer reopen an assessment under the section are not circumscribed by any condition.

(5) (1986) 61 एस.टी.सी. 1 (मद्रास) डिनोद कैश्यू कॉर्पोरेशन

(6) (1977) 40 एस.टी.सी. 531 (मद्रास) येरकंड कॉफी क्योरिंग वर्क्स लिमिटेड

"Held that having regard to the use of words "for any reason" it was clear that even where a turnover was disclosed but it was not subjected to tax, because at the relevant time the assessing authority through that the particulars turnover was exempt from tax, it would be permissible for the assessing authority to reopen the assessment under section 16(1)(a) or the Tamil Nadu General Sales Tax, 1959."

(7) (1989) 75 एस.टी.सी. 13 (कर्नाटक) केशोराम रायन

"Held that section 12A of the Karnataka Sales Tax Act, 1957 conferred power on the assessing authority to make a reassessment even in cases where the entire turnover was before the assessing authority, but it had committed mistake in the matter of rate of tax in which a lower rate of tax than the one at which the tax ought to have been levied, had been levied."

(8) (1993) 90 एस.टी.सी. 25 (केरल) टी.पी. एलियास

(9) (1996) 103 एस.टी.सी. 55 (केरल) सी वी की एण्ड कम्पनी

"Held that section 19 of the Kerala General Sales Tax Act, 1963 enables the assessing authority to reopen an assessment to bring to tax turnover which had escaped assessment, whatever be the reason for the turnover having escaped assessment. A mere change of opinion on the same material will be sufficient to reopen the assessment."

मनोहर

(10) एस.बी. सिविल रिट पिटिशन नं० 3675 / 2001 मैसर्स जील त्रुलन्स बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड ब्रदर्स (राज.)

"Held that the expression "in any way or under any circumstances", used in section 30 of the Rajasthan Sales Tax Act, 1994, are the expressions which have a very wider connotation. "In any way and under any circumstances" would give all permissible powers to the assessing authority. In that case the earlier assessment found to have faulted on the touch stone of the existing law, under-assessment is patiently there. Therefore, also the notice for reassessment cannot be said to be bad in the eye of law."

13. माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों के उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी कारण / हेतु से नियमित कर निर्धारण में किसी वस्तु पर करारोपण होने से रह जाने की स्थिति में, व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त प्रकरण को पुनः खोलते हुए छूटे हुए करारोपण की कार्यवाही की जा सकती है। प्रस्तुत प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त आलौच्य अवधियों के नियमित कर निर्धारण आदेशों में 'पाचक ऑवला' की बिक्री पर नियमानुसार कर आरोपित नहीं किये जाने के आधार पर प्रकरणों को अधिनियम की धारा 30 के तहत पुनः खोलते हुए, अनुसूची अनुसार करारोपण की कार्यवाही किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कर निर्धारण आदेशों की पुष्टि किये जाने में किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है।

14. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की चारों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

15. निर्णय सुनाया गया।

  
25.03.2015

( मनोहर पुरी )  
सदस्य